

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 519 दिनांक:- 20.6.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लि० मौजा-बड़ाजामदा जिला-पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 998 दिनांक 08.06.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/ENCRH/42933/2019 हेतु कुल 1.66 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चाईबासा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना चाईबासा वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. यह प्रस्ताव नियमितिकरण से संबंधित है।
3. इस परियोजना में कुल 1.66 हे० वनभूमि मात्र (जंगल-झाड़ी) अन्तर्गस्त है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति रकबावार/प्लॉटवार निम्नवत् है :-

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	चाईबासा	शून्य	1.66 हे०	1.66 हे०	0.1
कुल -				1.66 हे०	

5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन दर्ज है। तथा भारत सरकार के website पर निर्धारित Format में अभियुक्ति दर्ज कर Upload किया गया है।

6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/संलग्न है। जो निम्नवत् है:-

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे० में)	जंगल-झाड़ी का रकबा (हे० में)
1.	चाईबासा वन प्रमंडल	बाड़ाजामदा	05	2243	शून्य	1.66

7. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निर्धारित Format पार्ट-II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है।

8. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

9. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।

10. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर प्रस्तावित स्पंज प्लांट स्थल को दिखाते हुए संलग्न है।

11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।

12. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा के प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि पर कोई भी वृक्ष अवस्थित नहीं है।
13. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है।
14. वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि "Form A के Part-I के बिंदु संख्या H में Status of Environmental Clearance में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा NO अंकित किया गया है। Ministry of Environment and Forest, Govt. of India के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को निर्गत अधिसूचना में List of Projects or activities requiring Prior Environmental Clearance में Sponge Iron manufacturing <200TPD को Category with threshold limit B में रखा गया है। उक्त के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से कारण पृच्छा की गई। उक्त पृच्छा के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जवाब दिया गया है कि "The Sponge Iron Plant of M/s Shri Balaji Industrial Engineering Ltd. was installed & commissioned during the year 2005 and the company has obtained NOC from Jharkhand Pollution Control Board vide letter No. 173 dated 09.03.2005 (Copy attached as Annexure-I) Therefore, EP Act of 14<sup>th</sup> Sep is not applicable". (प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा समर्पित जवाब की छायाप्रति संलग्न प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 87 से 90)।
15. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित 4.11 एकड़ जंगल-झाड़ी वनभूमि उपयोग के विरुद्ध 4.00 एकड़ जंगल-झाड़ी वनभूमि हेतु उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक 663वी0/रा0 दिनांक 12.07.2007 द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र संलग्न है। शेष 0.11 एकड़ जंगल-झाड़ी वनभूमि के NOC हेतु संबंधित पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
16. वन विभागीय पत्रांक 3018 दिनांक 22.10.2021 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्टेज-I प्राप्ति से पूर्व FRA 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्ति की वैधता नहीं है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित की गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
17. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा अपने पार्ट-2 के कंडिका-11 के उप कंडिका-1 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लंघन किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि "Part-II के कण्डिका सं0 11 के सन्दर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल के पत्रांक 902 दिनांक 31.05.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Parivesh Portal के कण्डिका सं0 11(i) में Yes अंकित करने के उपरान्त कण्डिका सं0 11(i) के a,b तथा c में प्रविष्टि अंकित करने का Option नहीं दिये जाने के कारण वांछित सूचना अंकित नहीं की गयी है। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Detailed note on Project (पृष्ठ संख्या-14) उक्त परियोजना के दिनांक 09.03.2005 से क्रियान्वित होने की सूचना दी गयी है।"
- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि सम्पूर्ण आवेदित वनभूमि (जंगल-झाड़) का कुल रकबा 1.66 हे0 अतिक्रमण के श्रेणी में आवेदित है तथा वर्ष 2005 से आज तक (17 वर्षों से) कार्यरत है।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
19. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अपयोजन हेतु प्रस्तावित 1.66 हे0 वनभूमि के बदले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गिरिडीह जिला में 1.66 हे0 गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना/ थाना नं0	प्लॉट सं0	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा हे0
1	गिरिडीह पूर्वी	सेमरकोढ़ही	पीरटाड़/ 43	51,52,53,56,58	1.66 हे0
कुल :-					1.66 हे0

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का डीड पेपर, लगान रशीद, नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

20. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परन्तु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है।
21. प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य प्राप्त हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
22. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है।
23. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में संचिका में अनुमोदन प्राप्त हेतु संचिका प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF) को भेजी गई। निम्न निर्देश/शर्तों के साथ संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है:- **“चूंकि इस मामले में Violation है अतः प्रस्तावित Deemed Forest land के बदले दो गुणा दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण भूमि एवं दो गुणा दण्डात्मक NPV लेने के साथ Regularization की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाये प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का भी मंतव्य प्राप्त कर लिया जाय”**
24. उपरोक्त निर्देश एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में Penal Provision के तहत प्रस्तावित 1.66 हे० वनभूमि के नियमितकरण (**Regularization**) के लिए अनुशंसा की जाती है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ सलंग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना प्रस्ताव हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

  
20.06.2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

  
20.6.22

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

*Shri Balaji Industrial Engineering Limited 1.66 ha*

**17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)**

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

*Recommended for Regularization of 1.66 ha of Forest land with penal provision for reported 1.66 ha area under violation as per MoEF Guidelines dated 29.01.2018.*

Date :- 20.06.2022

Place :- Ranchi

Signature



20.06.2022

(Sanjay Srivastava)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests

Cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal )